

**आवंटनादेश**

बिहार सरकार  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय  
(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

राज कुमार भा०प्र०से०  
निदेशक,  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,  
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक :-

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू0 99,00,000/- (निन्यानवे लाख रूपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0-3/यो0-27/2017(खण्ड)-19 दिनांक-08.04.2019 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू0 99,00,000/- (निन्यानवे लाख रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33% समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित राशि मात्र के अंतर्गत आवंटित की जा रही है ।

3. भारत राशि की निकासी मांग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-22.35-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-51-2235021010119 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्र क्र-3758/वि० दिनांक-31.05.2017, पत्रांक-378/वि० दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.02.2018, पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.03.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर 'सक्षम' (State Society for Ultra Poor and Social Welfare-SSUPSW), बिहार, पटना को प्राप्त Pre Receipt Voucher के आधार पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे । सक्षम द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जायगी ।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को 'सक्षम' द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायगा ।

8. बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम सं0-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

9. यह चालू योजना है । अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

जापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-14/2018 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

जापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-14/2018 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

जापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-14/2018 स.क.-

पटना, दिनांक:- 28/05/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार/ सभी कोषागार, पदाधिकारी, बिहार / संयुक्त निदेशक (मु०), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक

28/5/19